

—:आदेश:—

श्रीमान निदेशक माध्यमिक राजस्थान बीकानेर के आदेश क्रमांक:-शिविरा/माध्य/साप्र/बी-1/कनि.सहा./2013/बैकलाग/20-21/52-53 दिनांक 22.10.2020 के द्वारा लिपिक ग्रेड द्वितीय संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा 2013 के दिव्यांग श्रेणी के पदों पर वर्ष 2018 की कैरीफॉरवर्ड लिस्ट से पिक-अप एवं लिपिक ग्रेड द्वितीय संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा 2013 के अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के बैकलाग के पदों पर वर्ष 2018 की रिजर्व लिस्ट से पिक-अप किये गए अभ्यर्थियों को कनिष्ठ सहायक के पद पर चयनोपरान्त नियुक्ति देने हेतु इस कार्यालय को सुपुर्द किये जाने के फलस्वरूप संलग्न सूची में अंकित आशार्थियों को लिपिक ग्रेड-द्वितीय (कनिष्ठ सहायक) पद पर राज्य सरकार के वित्त विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ.15(1) एफडी/रूल्स/2017 जयपुर दिनांक 30.10.2017 के अनुसूची 4 नियम 17 में अंकित पै मैट्रिक्स के लेवल 05 (पुनरक्षित वेतनमान नियम 2017) में दो वर्ष अवधि हेतु परिविक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी के रूप में नियत मानदेय 14600/- (पूर्व में सेवारत होने की स्थिति में विद्यमान वेतन) पर नियुक्ति दी जाकर उनके नाम के सम्मुख अंकित विद्यालय में रिक्त पद पर पदस्थापित किया जाता है। राज्य सरकार के पत्र क्रमांक प.8(1) कार्मिक/क-2/2003/ दिनांक 09.06.2003 के प्रावधानानुसार ये नियुक्ति अंशदायी पेंशन योजना अन्तर्गत होगी। यह नियुक्ति माननीय न्यायालय में दायर विभिन्न याचिकाओं के अन्तिम निर्णय के अध्याधीन रहेगी।

- सम्बन्धित संस्था प्रधान इनको कार्यग्रहण करवाने से पूर्व निम्नांकित कार्यवाही आवश्यक रूप से संपादित करेंगे :-
1. नियुक्ति पर कार्यग्रहण करवाने से पूर्व नियमानुसार संबंधित अभ्यर्थी का संबंधित जिला पुलिस अधीक्षक द्वारा प्रदत्त चरित्र संबंधित सदाचरण रिपोर्ट प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा, इनके अभाव में किसी भी अभ्यर्थी को नियुक्ति पर कार्यग्रहण नहीं करवाया जावे। यदि किसी अभ्यर्थी की उनको पूर्व में आवंटित विभाग द्वारा जांच करवा ली गई है तथा जो अभ्यर्थी पहले से ही राज्य सेवा में कार्यरत है तो उनका पुनः सत्यापन करवाया जाना आवश्यक नहीं है।
 2. नियुक्ति पर कार्यग्रहण करवाने से पूर्व अभ्यर्थी से सक्षम चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रदत्त स्वस्थता प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा।
 3. राज्य से बाहर की संस्थाओं से प्राप्त न्यूनतम शैक्षिक/कम्प्यूटर दक्षता योग्यता की वैधता सम्बन्धी जांच विभाग स्तर पर करवाई जानी शेष है। अतः कार्यग्रहण कराने से पूर्व संबंधित अभ्यर्थियों नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर इस आशय का शपथ-पत्र प्राप्त करेंगे कि यदि इनके द्वारा राज्य से बाहर अर्जित की गई शैक्षिक/कम्प्यूटर दक्षता योग्यता वैध व मान्य नहीं पाई गई तो उन्हें प्रदत्त यह नियुक्ति निरस्त करने एवं उनके विरुद्ध कार्यवाही करने सम्बन्धी अधिकार विभाग के पास सुरक्षित रहेगा। ऐसी स्थिति में यह नियुक्ति निरस्त की जा सकेगी।
 4. कार्यग्रहण कराने से पूर्व आवेदन पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजों का मिलान मूल दस्तावेजों से कर सही पाये जाने पर ही कार्यग्रहण करावे। मिलान में यदि कोई भिन्न स्थिति पाई जावे तो कार्यग्रहण नहीं कराया जावे तथा उसके संबंध में पूर्ण टिप्पणी सहित इस कार्यालय को तत्काल सूचना भिजवाई जावे।
 5. अन्य पिछड़ा वर्ग का सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त नवीनतम मान्य प्रमाण पत्र पिता की आय के आधार पर निर्धारित समय सीमा के अन्तर्गत जारी किया हुआ होना चाहिए। महिला आवेदकों के मामले में यदि पति के नाम एवं पति की आय के आधार पर जारी किया हुआ हो तो यह प्रमाण पत्र मान्य नहीं है, परन्तु अभ्यर्थी अपने पिता की आय के आधार पर प्रमाण पत्र जो कि विवाह के पश्चात का बना हुआ प्रस्तुत करे तो ही मान्य होगा। ऐसा नहीं करने पर कार्यग्रहण नहीं कराया जावे तथा उसके संबंध में पूर्ण टिप्पणी सहित इस कार्यालय को तत्काल सूचना भिजवाई जावे। उपरोक्तानुसार अन्य पिछड़ा वर्ग के प्रमाण पत्र की सुनिश्चितता आप अपने स्तर पर करने के उपरान्त ही अन्य पिछड़ा वर्ग के आवेदक को कार्यग्रहण कराया जावे। अन्य पिछड़ा वर्ग के प्रमाण पत्र में यह भी प्रमाणित किया गया हो कि अपवर्जन का नियम इन पर लागू नहीं होता है अर्थात् अनुसूची में वर्णित व्यक्ति क्रिमीलेयर का नहीं है तथा उक्त तथ्य सक्षम प्राधिकारी द्वारा काटा हुआ नहीं होना चाहिये। यदि कोई अभ्यर्थी क्रीमिलेयर की श्रेणी में आता है तो उनको कार्यग्रहण नहीं कराया जावे तथा उसके संबंध में पूर्ण टिप्पणी सहित इस कार्यालय को तत्काल सूचना भिजवाई जावे।
 6. एमबीसी के अभ्यर्थियों के संबंध में कार्मिक विभाग के पत्र क्रमांक प.7(1)कार्मिक/क-2/2017 दिनांक 23.06.2019 की पालना में पूर्व में स्वीकृत 01 प्रतिशत पद के अतिरिक्त अति पिछड़ा वर्ग को 04 प्रतिशत अतिरिक्त पद सृजित किये गये हैं इस संबंध में एसबीसी याचिका संख्या-3469/2020 अंकित घायल व अन्य बनाम सरकार राजस्थान राज्य में माननीय उच्च न्यायालय,जयपुर के अन्तरिम आदेश दिनांक 26.02.2020 के अध्याधीन अति पिछड़ा वर्ग(एमबीसी) के अभ्यर्थियों की नियुक्तिछाया पदों के विरुद्ध की गई है।
 7. परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण (प्रोबेशन ट्रेनी) की अवधि में फिक्स रेमुनरेशन के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार के भत्ते यथा मंहंगाई भत्ता, मकान किराया भत्ता, शहरी क्षति पूर्ति भत्ता, मंहंगाई वेतन (डीपी) विशेष वेतन, बोनस आदि देय नहीं होगा।
 8. परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण की अवधि को वार्षिक वेतन वृद्धि के लिए गणना योग्य नहीं माना जावेगा।
 9. परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण अवधि में इन्हें कलेण्डर वर्ष में केवल 15 दिन का आकस्मिक अवकाश वित्त विभाग के आदेश क्रमांक एफ -12 (9)एफडी (रूल्स) 2017 जयपुर दिनांक 30.10.2017 के अनुसार देय होगा।
 10. वित्त विभाग के आदेश क्रमांक एफ -12 (9)एफडी (रूल्स) 2017 जयपुर दिनांक 30.10.2017 के अनुसार प्रोबेशन ट्रेनी के फिक्स रेमुनरेशन से नवीन पेंशन अंशदायी की कटौती नियमानुसार होगी।

11. कार्यग्रहण करने वाले आशार्थी का चेहरा एवं उसका आवेदन पत्र पर चस्पा फोटो का मिलान कर, संतुष्ट होने पर ही कार्यग्रहण करवाया जावे।
12. कार्यग्रहण कराने से पूर्व अभ्यर्थी से उनकी पात्रता, आयु एवं आरक्षण सम्बन्धी समस्त दस्तावेजों की जांच आवश्यक रूप से कर लें।
13. कार्यग्रहण करवाने से पूर्व राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 24.02.2011 एवं दिनांक 20.11.2015 के अनुसार सम्बन्धित अभ्यर्थी के नाम/उपनाम/विवाह संबंधी शपथ-पत्र/विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र एवं दो से अधिक संतान नहीं होने का शपथ पत्र निर्धारित प्रपत्र में नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर आवश्यक रूप से प्राप्त किया जावे।
14. कार्यग्रहण करवाने से पूर्व अभ्यर्थी से यह शपथ पत्र लेवें कि उसके द्वारा प्रस्तुत सूचनाएं एवं दस्तावेज सही हैं, इनके त्रुटिपूर्ण, जाली अथवा कूटरचित पाये जाने पर उनकी नियुक्ति निरस्त की जा सकेगी एवं उनके विरुद्ध नियमानुसार विधिक कार्यवाही करने हेतु विभाग स्वतंत्र होगा।
15. कार्यग्रहण कराने से पूर्व संबंधित अभ्यर्थी से कार्मिक विभाग की अधिसूचना क्रमांक प.7(3)कार्मिक/ क-2/06 पार्ट दिनांक 04.10.2013 के अनुसार धूम्रपान एवं गुटखा सेवन नहीं करने संबंधी वचनबद्धता (Undertaking) निर्धारित प्रपत्र में प्राप्त की जावे।
16. अन्य विभाग से आने वाले कार्मिकों से संबंधित विभाग की अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने के उपरान्त ही कार्यग्रहण कराया जावे।

इन्हें उक्त नियुक्ति पर दिये गये पदस्थापित स्थान पर दिनांक 11.11.2020 तक कार्यग्रहण करना अनिवार्य होगा, उक्त दिनांक तक कार्यग्रहण नहीं करने पर यह आदेश स्वतः की निरस्त माना जावेगा। संबंधित संस्थाप्रधान इन्हें शाला दर्पण के माध्यम से कार्यग्रहण करवाया जाना सुनिश्चित करें तथा इनके कार्यग्रहण की सूचना तत्काल इस कार्यालय को भिजवाने की व्यवस्था करें।

3/27/27.10.2020
(ओमशंकर श्रीमाली)
जिला शिक्षा अधिकारी
(मुख्यालय) माध्यमिक राजसमन्द

क्रमांक:-जिशिअ/मुख्या/माध्य/राजस/संस्था/कनि.सहा/2013/बैकलॉग/2020/ 88

दि:- 27.10.2020

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. प्रमुख शासन सचिव स्कूल एवं संस्कृत शिक्षा, राजस्थान जयपुर।
2. शासन उप सचिव, शिक्षा (ग्रुप-2) विभाग, राजस्थान जयपुर।
3. शासन उप सचिव, कार्मिक (क-2) विभाग, राजस्थान जयपुर।
4. सचिव, राजस्थान अधीनस्थ एवं मंत्रालयिक सेवा चयन बोर्ड जयपुर।
5. निदेशक, माध्यमिक/प्रारंभिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर।
6. संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा उदयपुर संभाग उदयपुर।
7. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी राजसमन्द।
8. जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक मुख्यालय, राजसमन्द।
9. समस्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी _____।
10. संबंधित संस्थाप्रधान _____।
11. प्रभारी, वरिष्ठता शाखा, कार्यालय हाजा।
12. संबंधित आशार्थी (पंजीकृत डाक द्वारा),
13. रक्षित पत्रावली,
14. नोटिस बोर्ड

3/27/27.10.2020
जिला शिक्षा अधिकारी
(मुख्यालय) माध्यमिक राजसमन्द

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक राजसमन्द






क्रमांक:-जिशिअ/मुख्या/माध्य/राजस/संस्था/कनि.सहा/2013/बैकलॉग/2020/ 88

दि:- 27.10.2020


NON TSP

क्र.स.	फोटो	चयन वर्ग	मेरिट नं.	नाम अभ्यर्थी मय पिता/पति का नाम एवं पता	जन्म दिनांक	पदस्थापन स्थान	ब्लॉक
1		OBC	27469	SHAKTI SINGH/ BHOPAL SINGH,VIL-TALAHATI KA BADIYA, PO-BALI JASSAKHEDA,TEH-BHIM, RAJSAMAND, PINCODE-305921	15/09/1996	GOVT. SECONDARY SCHOOL SAKRODA	AMET
2		GEN	28081	DEEPAK PUROHIT/ PRAKASH CHANDRA PUROHIT,VIL- DHANYALA, TEH-NATHDWARA,DISTRICT- RAJSAMAND, PIN-313301	28/01/1993	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL TANTOL	KHAMNOR
3		SC	19682	ASHOK KUMAR MEGHWANSHI/ LALU RAM MEGHWANSHI,VIL-MOTRAS, THE-BHADNOR, DISTRICT-BHILWARA,PINCODE- 311204	04/01/1993	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL PARDI	DEOGARH
4		SC	27100	VIJETA/ MADAN LAL, HOUSE NO-1/28,HOUSING BOARD, SAKET NAGAR, BEAWAR, AJMER, PINCODE- 305901	17/07/1993	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL NARDAS KA GUDHA	DEOGARH
5		SC	19105	GOVIND JABDOLIYA/ MOOL CHAND RAIGAR,VILLAGE-MANPURA MACHEDI,THE- AMER,DISTRICT-JAIPUR,PINCODE-303805	16/06/1998	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL UTHARDA	KHAMNOR
6		SC	19158	VIKRAM CHAND/ CHUNNI LAL,POST-RAJPURA, THE- DATA RAMGARH,DISTRICT-SIKAR,PINCODE-332023	18/12/1993	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL GOGATHALA	RAILMAGRA
7		SC	19349	RAKESH KUMAR VERMA/ MANSUKH VERMA,POST-SURELI,THE- UNIYARA, DISTRICT-TONK, PINCODE- 304024	18/07/1988	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL PAKHAND	KHAMNOR
8		SC	19399	PRADEEP KUMAR/ GOVIND RAM,WARD NO- 09, VILLAGE- GUMANPURA, POST-JANA,THE- DATA RAMGARH,DISTRICT-SIKAR,PINCODE- 332025	02/01/2000	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL BARGAON	KUMBHALGARH
9		SC	19527	SURENDRA KASLIWAL/ PRABHU DAYAL,VILLAGE- BALWANTA, POST-RAJORI,DISTRICT- AJMER, PINCODE-305401	01/06/1992	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL GAWAR	KUMBHALGARH
10		SC	19548	MANISH/ VED PARKASH,VILL-SOHANPURA,POST-DUNGA KI NANGAL,TEH-NEEM KA THANA,DISTRICT-SIKAR,PINCODE-332718	07/06/1996	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL KARIYA	KUMBHALGARH

315

11		ST	22926	DEVENDER KUMAR MEENA/ TARACHAND MEENA, LAKSHMI NAGAR, JHODLA POWER HOUSE, HARMADA, SIKAR ROAD, TEH- AMER, DISTRICT- JAIPUR, PINCODE- 302013	15/09/1998	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL KALINJAR	KUMBHALGARH
12		ST	23137	KAMLESH MEENA/ RAMAWATAR MEENA, DHANI JHOR MEENA KI , POST- MANDHOLI, TEH- NEEM KA THANA, DISTRICT- SIKAR 332713	01/07/1997	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL USAR	KUMBHALGARH
13		ST	23149	RAVI KUMAR MEENA/ NAVAL RAM MEENA, VILL. POST KAMLA THE. NADOTI, DISTRICT- KAROLI, PINCODE- 322220	15/07/1993	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL BANOKADA	KUMBHALGARH
14		ST	23173	RATAN SINGH/ PRAHLAD RAM MEENA, VILL- SAVANTGARH, THE-DEOLI, DISTRICT- TONK, PINCODE- 304803	10/08/1986	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL KANUJA	KUMBHALGARH
15		ST	23325	SUNDAR LAL MEENA/ CHHOTU RAM MEENA, VILL- RAHORI, TEH- JANWA RAMGARH, DISTRICT- JAIPUR, PINCODE- 302027	19/07/1998	GOVT. SECONDARY SCHOOL BADGULLA	KUMBHALGARH

नोट-क.स. 13 पर अंकित आशार्थी परामर्श शिविर में अनुपस्थित रहने से प्रशासनिक आदेश जारी किये गये हैं ।


 (ओमशंकर श्रीमाली)
 जिला शिक्षा अधिकारी
 (मुख्यालय) माध्यमिक राजसमन्द